ऑन लाईन नं. RCMS 2021/31

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर०ए०एस०

निगरानी प्रकरण सं० 12/2021

1. सुनील पुत्र फुसा राम जाति जाट निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. संजय पुत्र फुसा राम जाति जाट निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जितेन्द्र पुत्र श्योकरण उर्फ सिकन्दर पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. महेन्द्र पुत्र सुलतान राम जाति जाट निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजेन्द्र पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. धर्मपाल पुत्र भागीरथ जाति नाथ निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. ओमप्रकाश पुत्र जीतनाथ जाति नाथ निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. पंचायत समिति श्रीगंगानगर जरिये विकास अधिकारी, श्रीगंगानगर ।
2. राकेश कुमार पंचायत प्रंसार अधिकारी पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।
3. किशन लाल पंचायत प्रंसार अधिकारी पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।
4. योगेश गौड़ पंचायत प्रंसार अधिकारी पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।
5. प्रदीप बुट्टर कनिष्ट तकनीकी सहायक पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 विकास अधिकारी द्वारा नियुक्त जांच कमेटी जिसमें जांच कमेटी के सदस्यगण गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 5 द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट दिनांक 26.04.2019 व इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने आधार पर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेश दिनांक 28.01.2021 को विधि–विरूद्व अनुचित व गलत होना घोषित कर इसे रद्व करने हेतू निगरानी।

उपस्थित :

1. श्री काशीराम रणंवा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री विकास अधिकारी पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।

:: आदेश ::

दिनांक :– 29.11.2024

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. यह कि गैरनिगरानीकर्ता जांच कमेटी के सदस्य संख्या 2 ता 5 द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट दिनांक 26.04.2019 व इस रिपोर्ट की पालना का निगरानीकर्ता संख्या 1 का आदेश दिनांक 28.01.2021 कतई विशुद्व, अनुचित, विधि विरूद्व व गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रिपोर्ट व पालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति सलंग्न निगरानी है।
2. यह कि गैरनिगरानीकर्ता पंचायत समिति, श्रीगंगानगर के विकास अधिकारी ने स्वयं द्वारा नियुक्त कमेटी सदस्यों गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 5 को पत्र कमांकःपं.स./ए/2017-18/5102 दिनांक 14.02.2019 से सुनील के परिवाद अवैध अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेजी तकनीकी साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्य, पक्षकारान के ब्यान व मौका निरीक्षण जांच कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जांच रिपोर्ट भिजवाने का आदेश दिया था, इस आदेश की प्रमाणित प्रति सलंग्न निगरानी है।
3. यह कि जांच कमेटी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 5 ने अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.04.2019 को विकास अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, इस जांच रिपोर्ट में परिवाद के बिन्दु संख्या 4 में लगभग पूरे गांव में अतिक्रमण की शिकायत की है जिसमें समस्त दस्तावेज पेश कर उनका अवलोकन उपरान्त अतिक्रमण व चिन्हित करने व अतिक्रमण पाये जाने पर उनके हटाये जाने हेतु लगभग 4 माह का समय लगने की संभावना है। अतः लोकायुक्त से 4 माह का समय लिया जाना उचित होगा, परिवाद के अन्य बिन्दु सूचना मात्र है यह शिकायत निराधार है। इस रिपोर्ट में जांच कमेटी ने किसी भूमि पर किसी ग्रामवासी द्वारा अतिक्रमण करने का निष्कर्ष नहीं निकाला है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 4 माह का समय मांगा गया है। कमेटी ने परिवाद के बिन्दु संख्या 4 पर निर्णय देते समय इस बिन्दु के निर्णय के अन्तिम पैरा में यह अंकन किया है कि उक्त समस्त प्रक्रिया से जांच कमेटी इस निर्णय पर पहुंची कि प्रकरण से सम्बन्धित व्यक्ति के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजो को लिया जाकर कमेटी द्वारा स्वयं अपने स्तर पर पुनः पैमाईश की जाकर अतिक्रमण का निर्धारण किया जावें और अतिक्रमण पाये जाने पर ग्राम पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जावें, उक्त प्रक्रिया में लगभग 4 माह समय लगने की सम्भावना व्यक्त करते हुए 4 माह का समय लिया गया था। जांच कमेटी की यह रिपोर्ट परिपक्व एवं अधूरी थी और इसमें अतिक्रमण के बिन्दु का कोई निर्धारण नहीं किया गया था और इस हेतू मजीद समय की मांग की गई थी। उपरोक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट था कि उक्त रिपोर्ट पालना योग्य नहीं थी इसके पालना योग्य बनाने के लिए कमेटी ने जो 4 माह का समय मांगा था, वह समय दिया जाना चाहिए था परन्तु विकास अधिकारी महोदय ने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का गम्भीरता से अवलोकन ही नहीं किया और इसमें कमेटी द्वारा जो अपनी मंशा

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

प्रकट की थी उस पर गौर नहीं किया ऐसी सूरत में विकास अधिकारी महोदय का उक्त पत्र दिनांक 28.01.2021 कतई अशुद्व , विधि विरूद्व व अनुचित है और इसकी शुद्वता , वैधता व औचित्य के आधार पर निरस्त किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि जांच कमेटी के बिन्दु संख्या 4 पर अपने विवेचन में परिवादी द्वारा दी गई शिकायत के बारे में अंकित किया है कि परिवादी के पिता द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था जिसमें माननीय ग्राम न्यायालय के निर्णय पर हटाया गया था जिससे परिवादी द्वारा रंजिशवंश शिकायत की जानी प्रतीत होती है। जांच कमेटी के ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस देने की कार्यवाही को रोक दिया है और सम्पूर्ण जांच के लिए 4 माह का समय मांगा है इससे स्पष्ट है कि सारा गांव व इसमें बने कुल मकानात का निर्णय अवैध नही हो सकता। यह गांव सन् 1927 में गंगनहर के आने के तुरन्त बाद ही बसना शुरू हो गया था और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार गांव में मौजूद राजस्व अधिकारी द्वारा समय समय पर दिये गये सुझाव अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति ने गलियों के स्थान को सुरक्षित रखते हुए अपने अपने निर्माण किये थे। निर्माण हेतु स्थान बताने में किसी जरीब या पैमाने का सहारा नहीं लिया गया था और न मकान निर्माण पट्टा देने के बाद करवाया गया था, ऐसी सूरत में गांव में हुए निर्माण को अब गलियों में आवागमन की सुविधा के लिहाज से ही देखा जा सकता है उसमें पंचायत द्वारा दिये गये पट्टे या कब्जे को पंचायत के नक्शे अनुसार नहीं जांचा जा सकता है और इसलिए जांच कमेटी ने संबंधित व्यक्तियों से स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज लेकर अतिक्रमण निर्धारित करने का निष्कर्ष निकाला है परिवाद की पृष्टभूमि से शिकायत रंजिशवंश की गई होने से जांच कमेटी को अपनी जांच पूर्ण करने के लिए 4 माह का समय दिया जाना आवश्यक था। जांच कमेटी ने परिवादी की शिकायत में निगरानीकर्ता संजय खैरवा द्वारा 5–5 फुट अवैध अतिक्रमण करना व जितेन्द्र निगरानीकर्ता द्वारा 25 फुट जगह पर अतिक्रमण कर कमरे का निर्माण करना शिकायत में अंकित किया है। शिकायत के सम्बन्ध में जांच कमेटी ने रिपोर्ट के पैरा सख्या 4 में इन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत का वर्णन अवश्य किया है परन्तु बताया गया अतिक्रमण , अतिक्रमण की तारीफ में आता है या नहीं के बिन्दू पर निर्णय नहीं दिया है और अतिक्रमण के बिन्दु का निर्धारण करने से पूर्व कमेटी द्वारा पुनः पैमाईश करने के लिए 4 महा का समय मांगा है। सुनील कुमार निगरानीकर्ता के पिता ने चक 2 एफ छोटी की आबादी में आबादी बसने के समय से रिहायशी मकान का निर्माण कर लिया था और यह निर्माण मौजूदा समय में उतना ही पुराना है। सुनील कुमार के पिता फुसाराम का देहान्त होने पर इस मकान में सुनील कुमार निवास करता आ रहा है। चक 2 एफ छोटी जो ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के क्षेत्राधिकार में आती है। सुनील कुमार ने अपने इस पुराने मकान जो अहाता संख्या 11 में स्थित है का पट्टा ग्राम पंचायत से दिनांक 29.01.1999 को बनवाया था और इस पट्टे बनाने में ग्राम पंचायत ने स्पष्ट लिखा है कि प्लॉट संख्या 11 में पुराना मकान बना हुआ

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

है। पंचायत ने नियम 157 के तहत कब्जा नियमन प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा निर्धारित फीस लेकर पट्टा जारी कर दिया था, पट्टे में दर्शाये गये स्थान के अतिरिक्त भूमि पर कब्जा सुनील कुमार का नहीं है। यह कब्जा किस दिशा से किस दिशा तक कितने फुट का है, के बारे में कोई निर्धारण कमेटी ने नहीं किया है इसी प्रकार निगरानीकर्ता जितेन्द्र के कब्जा की भूमि का पट्टा जितेन्द्र के पिता श्योकरण उर्फ सिकन्दर पुत्र टीकुराम के नाम से दिनांक 01.04.1999 को बना हुआ है जो भू–भाग लोगो के कब्जा में था उसी का पट्टा बनाया हुआ है जिस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है, उस कब्जे को अतिक्रमण घोषित नहीं किया जा सकता है। जांच कमेटी ने भी इस बिन्दू पर जांच नहीं की है और न श्योकरण के कब्जे को अतिक्रमण माना है ऐसी सूरत में परिवादी की शिकायत के आधार पर अतिक्रमण मानकर उसे हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है और न उसकी पालना की जा सकती है। विकास अधिकारी का पत्र दिनांक 28.01.2021 पूर्ण रूप से अशुद्व, विधि–विरूद्व व अनुचित है और पंचायत समिति के सम्पूर्ण रिकॉर्ड तलब किया जाकर बाद जांच जांच–रिपोर्ट व आदेश विकास आकिारी निरस्त किये जाकर जांच कमेटी द्वारा जांच हेतु जो 4 माह का समय मांगा है यह समय दिया जाना आवश्यक है।

5. यह कि विकास अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 14.02.2019 से जांच कमेटी का गठन करते हुए जांच कमेटी को आवश्यक दस्तावेज, पक्षकारों के ब्यान लेकर जांच रिपोर्ट भिजवाने का निर्देश दिया था, जांच कमेटी ने भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त नहीं किये , न कोई तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये, न सम्बन्धित पक्षकारों के ब्यान लिये जांच कमेटी ने इस कार्य के लिए 4 माह का समय मांगा था, जांच कमेटी द्वारा कोई निष्कर्ष न निकालने पर यह रिपोर्ट ना काबिले गौर है और इसे निरस्त कर 4 माह का समय देकर पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त की जानी आवश्यक है।

अतः निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 पेश कर निवेदन है कि निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार किया जाकर जांच कमेटी का जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.04.2019 व विकास अधिकारी की पालना रिपोर्ट दिनांक 28.01.2021 निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया।

प्रदीप सिंह बुट्टर, जेटीए, पंचायत समिति श्रीगंगानगर व अन्य द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्राप्त दिनांक 25.09.2024 में निम्नानुसार अंकित किया गया है:–

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आप द्वारा जानकारी चाही गई है। इसकी पालना में उपलब्ध पत्रावली अनुसार श्री सुनील कुमार पुत्र रामकुमार, बनवारी लाल पुत्र पोकर राम निवासी 2 एफ छोटी एवं गुरमीत सिह पुत्र गुरदेव सिंह साकिन 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा श्रीमान लोकायुक्त सचिवालय जयपुर को ग्राम पंचायत 18 जीजी के गांव 2 एफ छोटी में अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा कार्यालय पत्रांक 5102 दिनांक 14.02.2019 से किशन लाल, राकेश कुमार, योगेश गौड़, तत्कालीन पंचायत

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

प्रसार अधिकारी व प्रदीप सिंह बुट्टर कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति श्रीगंगानगर की कमेटी गठित की गई। गठित कमेटी द्वारा प्रार्थीगण के बयान प्राप्त कर ग्राम पंचायत 18 जीजी के गांव 2 एफ छोटी का उपलब्ध आबादी भूमि के नक्शे व राजस्व पटवारी द्वारा आबादी भूमि से सटी कृषि भूमि के पत्थर के निशान देही के आधार पर ग्राम विकास अधिकारी व ग्रामीणो की उपस्थिति में अतिक्रमण चिन्हित कर दिनांक 13.03.2019 को फर्द मौका तैयार की गई व जिनके अतिक्रमण पाये गये उनके ऐतराज करने पर गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अप्रार्थीगण/अतिक्रमणकारी के समस्त भूस्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त कर अवलोकन उपरान्त अतिक्रमण चिन्हित करने एवं हटाने हेतु लगभग 4 माह का समय लिये जाने की अनुशंषा की गई। श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा कार्यालय पत्रांक 341 दिनांक 01.05.2019 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर को जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। इसके उपरान्त श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा कार्यालय पत्रांक 4226 दिनांक 22.10.2019 से श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर से उक्त प्रकरण से सम्बन्धित रिपोर्ट चाही गई थी। श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 18 जीजी से कार्यालय पत्रांक 413 दिनांक 04.09.2020 , पत्रांक 582 दिनांक 05.10.2020, पत्रांक 184 दिनांक 28.01.2021 से पालना रिपोर्ट चाही गई, इसी दौरान अप्रार्थीगण चिन्हित अतिक्रमण से संतुष्ट नहीं होने पर आपके कार्यालय में श्री सुनील कुमार वगैरहा बनाम विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर वगैरहा प्रकरण संख्या 12/21 के निगरानी दायर कर दी जो आपके कार्यालय में विचाराधीन है।

गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित भूस्वामित्व सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज गठित कमेटी के समकक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पुनः अतिक्रमण चिन्हित किया जाकर आगामी कार्यवाही की जा सकें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। गैरनिगरानीकर्तागण उपस्थित नहीं।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता जांच कमेटी के सदस्य संख्या 2 ता 5 द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट दिनांक 26.04.2019 व इस रिपोर्ट की पालना का निगरानीकर्ता संख्या 1 का आदेश दिनांक 28.01.2021 कतई विशुद्व, अनुचित, विधि विरूद्व व गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जांच कमेटी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 5 ने अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.04.2019 को विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, इस जांच रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 4 में लगभग पूरे गांव में अतिक्रमण की शिकायत की है जिसमें समस्त दस्तावेज पेश कर उनका अवलोकन उपरान्त अतिक्रमण व चिन्हित करने व अतिक्रमण पाये जाने पर उनके हटाये जाने हेतु लगभग 4 माह का समय लगने की सम्भावना होना बताया है। जांच रिपोर्ट में जांच कमेटी ने किस भूमि पर किस ग्रामवासी द्वारा अतिक्रमण करने का निष्कर्ष नहीं निकाला है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 4 माह का समय मांगा

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

गया है। जांच कमेटी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित व्यक्ति के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजो को लिया जाकर स्वयं अपने स्तर पर पुनः पैमाईश की जाकर अतिक्रमण का निर्धारण किया जावें और अतिक्रमण पाये जाने पर ग्राम पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जावें, उक्त प्रकिया में लगभग 4 माह समय लगने की सम्भावना व्यक्त करते हुए 4 माह का समय लिया गया था। जांच कमेटी की यह रिपोर्ट परिपक्व एवं अधूरी थी और इसमें अतिक्रमण के बिन्दु का कोई निर्धारण नहीं किया गया था। उपरोक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट था कि उक्त रिपोर्ट पालना योग्य नहीं थी इसके पालना योग्य बनाने के लिए कमेटी ने जो 4 माह का समय मांगा था, वह समय दिया जाना चाहिए था किन्तु विकास अधिकारी महोदय ने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का गम्भीरता से अवलोकन ही नहीं किया और इसमें कमेटी द्वारा जो अपनी मंशा प्रकट की थी उस पर गौर नहीं किया ऐसी सूरत में विकास अधिकारी का उक्त पत्र दिनांक 28.01.2021 कतई अशुद्व , विधि विरूद्व व अनुचित है और इसकी शुद्वता , वैधता व औचित्य के आधार पर निरस्त किया जाना आवश्यक है। जांच कमेटी के बिन्दु संख्या 4 पर अपने विवेचन में परिवादी द्वारा दी गई शिकायत के बारे में अंकित किया है कि परिवादी के पिता द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था जिसमें माननीय ग्राम न्यायालय के निर्णय पर हटाया गया था जिससे परिवादी द्वारा रंजिशवंश शिकायत की जानी प्रतीत होती है। जांच कमेटी के ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस देने की कार्यवाही को रोक दिया है और सम्पूर्णय जांच के लिए 4 माह का समय मांगा है इससे स्पष्ट है कि सारा गांव व इसमें बने कुल मकानात का निर्णय अवैध नही हो सकता। चक 2 एफ छोटी सन् 1927 में गंगनहर के आने के तुरन्त बाद ही बसना शुरू हो गया था। जांच कमेटी ने परिवादी की शिकायत में निगरानीकर्ता संजय खैरवा द्वारा 5–5 फुट अवैध अतिक्रमण करना व जितेन्द्र निगरानीकर्ता द्वारा 25 फुट जगह पर अतिक्रमण कर कमरे का निर्माण करना शिकायत में अंकित किया है। अतिक्रमण के बिन्दु का निर्धारण करने से पूर्व कमेटी द्वारा पुनः पैमाईश करने के लिए 4 माह का समय मांगा है। सुनील कुमार निगरानीकर्ता के पिता ने चक 2 एफ छोटी की आबादी में आबादी बसने के समय से रिहायशी मकान का निर्माण कर लिया था। सुनील कुमार के पिता फुसाराम का देहान्त होने पर इस मकान में सुनील कुमार निवास करता आ रहा है। सुनील कुमार ने अपने इस पुराने मकान जो अहाता संख्या 11 में स्थित है का पट्टा ग्राम पंचायत से दिनांक 29.01.1999 को बनवाया था और इस पट्टे में ग्राम पंचायत ने स्पष्ट लिखा है कि प्लॉट संख्या 11 में पुराना मकान बना हुआ है। पंचायत ने नियम 157 के तहत कब्जा नियमन प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा निर्धारित फीस लेकर पट्टा जारी किया गया था। पट्टे में दर्शाये गये स्थान के अतिरिक्त भूमि पर कब्जा सुनील कुमार का नहीं है। विकास अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 14.02.2019 से जांच कमेटी का गठन करते हुए जांच कमेटी को आवश्यक दस्तावेज, पक्षकारों के ब्यान लेकर जांच रिपोर्ट भिजवाने का निर्देश दिया था, जांच कमेटी ने भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त नहीं किये , न कोई तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये, न सम्बन्धित पक्षकारों के ब्यान लिये। जांच कमेटी ने इस कार्य के लिए 4 माह का समय मांगा था, जांच कमेटी द्वारा कोई निष्कर्ष न निकालने पर यह रिपोर्ट ना काबिले गौर है और इसे

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

निरस्त कर 4 माह का समय देकर पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त की जानी आवश्यक है। अतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार किया जाकर जांच कमेटी का जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.04.2019 व विकास अधिकारी की पालना रिपोर्ट दिनांक 28.01.2021 निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि पाया कि विकास अधिकारी, पं.स. श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 184 दिनांक 28.01.2021 द्वारा बिन्दु संख्या 4 की पालना 7 दिवस में चाही गई है।

"जांच प्रतिवेदन किशनलाल, राकेश कुमार, योगेश गोड़ पंचायत प्रसार अधिकारी कार्यालय हाजा, प्रदीप बुट्टर कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यालय हाजा, द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का बिन्दु संख्या–4 यह है कि इस प्रकार उक्त गांव के मध्य जाने हेतु उत्तर से दक्षिण की तरफ 40 फुट स्वीकृतशुदा गली है जिस पर अहाता संख्या 14, 11 साथ चिपते हुए है, जिस पर अप्रार्थी संजय खैरवा ने 5–5 फुट पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है तथा दीवार व कमरे का निर्माण किया हुआ है। इस प्रकार अहाता नम्बर 34 के पूर्व दिशा की तरफ गली आम 40 फुट पर अप्रार्थी जितेन्द्र सिंह द्वारा 25 फुट जगह पर अतिक्रमण कर कमरों का निर्माण किया हुआ है

परिवादी की शिकायत का मूल बिन्दु यही है। परिवादी द्वारा अपने बयानों/ पैमाईश के समय लगभग पूरे गांव की सभी गलियों में (1 या 2 गलियों को छोड़कर) अतिक्रमण होना अवगत करवाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत एवं ग्राम पंचायत में उपलब्ध नक्शा के आधार पर जांच कमेटी व पटवारी हल्का द्वारा परिवादीगण की उपस्थिति में मुरब्बे की पत्थर लाईन से नक्शें में दी गयी गलियों की माप अनुसार पैमाईश की गयी। पैमाईश के दौरान जिन व्यक्तियों के मकान अतिक्रमण की सीमा में आना पाया गया उनके निशान लगाकर मौका पर उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 18 जीजी को उक्त सभी व्यक्तियों से स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये जाने एवं प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत जिन व्यक्तियों का अतिक्रमण पाया जावें, उन अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटवाने जाने की कार्यवाही किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया। उक्त निशनदेही के आधार पर आगामी कार्यवाही करने से पूर्व अन्य ग्रामवासियों द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत 18 जीजी , विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर , व मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को आवेदन कर अवगत करवाया कि प्रार्थी सुनील कुमार के परिवार द्वारा पूर्व में गली में अतिक्रमण किया हुआ था जो माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर हटा दिया गया था। इसी बात की रंजिश रखते हुए ग्रामीणों के स्वामित्व वाले मकाने को तुड़वाना चाहता है। ग्रामीणों से प्राप्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि परिवादी के पिता द्वारा अवैध अतिक्रमण किया हुआ था जिसे माननीय ग्राम न्यायालय, श्रीगंगानगर के निर्णय के आधार पर हटाया गया था। परिवादी द्वारा जिस तरह अपने आवेदन पत्र में अप्रार्थीगणों के नाम दिये गये है, उससे शिकायत रंजिशवंश की जानी प्रतीत होती है। अतः जांच कमेटी ने ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही नोटिस देने की कार्यवाही को रोक दिया गया।

उक्त समस्त प्रक्रिया से जांच कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की प्रकरण में सम्बन्धित व्यक्तियों के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों को लिया जाकर कमेटी द्वारा स्वयं

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अपने स्तर पर पुनः पैमाईश की जाकर अतिक्रमण का निर्धारण किया जावें। अतिक्रमण पाये जाने पर ग्राम पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटवाया जावें। उक्त प्रकिया में लगभग 4 माह लगने की सम्भावना है। अतः लोकायुक्त सचिवालय से 4 माह का समय लिया जाकर कार्यवाही पूर्ण किया जाना उचित होगा।

बिन्दु संख्या 4 के अनुसार गांव के मध्य जाने हेतु उत्तर से दक्षिण की तरफ 40 फुट स्वीकृतशुदा गली है जिस पर अहाता संख्या 14, 11 साथ चिपते हुए है, जिस पर अप्रार्थी संजय खैरवा ने 5–5 फुट पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है तथा दीवार व कमरे का निर्माण किया हुआ है। इस प्रकार अहाता नम्बर 34 के पूर्व दिशा की तरफ गली आम 40 फुट पर अप्रार्थी जितेन्द्र सिंह द्वारा 25 फुट जगह पर अतिक्रमण कर कमरों का निर्माण किया हुआ पाया गया है। परन्तु लोकायुक्त महोदय से लिये गये 4 माह के समय बाबत जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है, उसके अनुसार समस्त ग्रामवासियों द्वारा पूरे गांव में हुए अतिक्रमण के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों एवं पैमाईश सम्बन्धी जांच हेतू समय लगना स्वभाविक प्रतीत होता है परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी वर्ष 2021 जिसमें किसी प्रकार का कोई स्थगन इस न्यायलाय द्वारा जारी नहीं किया गया था। इस न्यायालय द्वारा स्थगन 22.07.2024 को जारी किया गया है इस बीच विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर को करीब 2.5 वर्ष का समय मिला परन्तु विकास अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के अतिक्रमण को चिन्हित नहीं करना यह प्रमाणित करता है कि किसी ना किसी तरीके से अतिक्रमीयों को लाभ पहुंचाना चाहता है जिसके सम्बन्ध में विकास अधिकारी द्वारा अनावश्यक लापरवाही बरती गई है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 28.01.2021 निरस्त किया जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि जांच प्रतिवेदन किशनलाल, राकेश कुमार, योगेश गोड़ पंचायत प्रसार अधिकारी कार्यालय हाजा, प्रदीप बुट्टर कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यालय हाजा को निर्णय दिनांक से 1 माह का समय दिया जाकर अतिक्रमण सम्बन्धी पूर्ण जांच करवाई जाकर अगर अतिक्रमण पाये जाते है तो अतिक्रमण हटवाये जाकर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवावें। आदेश की प्रमाणित प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर